157

संख्या– \ /XXVII(7)02/2

प्रेषक,

भास्करानन्द,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7

देहरादूनः दिनांक 08 जून, 201

विषयः राजकीय कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक संस्थाओं के कार्मिकों
अनुमन्य मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुनरीक्षित/अपुनरक्षित वेतनमान में कार्यरत उक्त कार्मिकों को वि
(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्या–245/xxvii(7)02/2013 दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 द्वा
दिनांक 01 जुलाई, 2014 से मंहगाई भत्ता कमशः पुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कार्मिकों को उनके मूल वेतन
107 प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतन में कार्यरत कार्मिकों को उनके मूल वेतन के 212 प्रतिशत की दर
अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभा
के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1/2/2015–ई.II(बी) दिनांक 10 अप्रैल, 2015, संख्या–1(3)/2008–ई.II(बी
दिनांक 24 अप्रैल, 2015 एवं वित्त विभाग के ऊपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 के क्र
में कमशः पुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों
राज्य विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को उन्हें वर्तमान में अनुमन्य मंहगाई भत्ते
06 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए दिनांक 01 जनवरी, 2015 से मंहगाई भत्ता 107 प्रतिशत से बढ़ाकर 11
प्रतिशत तथा अपुनरीक्षित वेतनमानों में कार्यरत कार्मिकों के महंगाई भत्ते में 11 प्रतिशत की वृद्धि करते हु
उनके मूल वेतन के 212 प्रतिशत से बढ़ाकर 223 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष
स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– शासनादेश संख्या–1–1599/ दस–42 (एम)/97, 23, नवम्बर, 1988 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 07 में
उल्लिखित शतें एवं प्रतिबन्ध उक्तवत् स्वीकृत मंहगाई भत्तें के सम्बन्ध में यथावत् लागू होंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को 01 जनवरी, 2015 से, उन
कर्मचारियों जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद हुई हो और जो अंशदायी
पेंशन योजना से आच्छादित हैं, को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2015 से 31 मई, 2015
तक (सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि

–2..

उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 जून, 2015 से नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर, 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष (एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से संबंधित खाते में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

5– उक्त वर्णित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन उपरोक्तानुसार स्वीकृत मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी अनुमन्य होगा।

भवदीय,

(भास्करानन्द)
सचिव।

संख्या–८२ /xxvii(7)02/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव/सचिव, सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपक्रम/निकाय के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
14. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
15. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
16. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(शिव शंकर मिश्रा)
अनु सचिव।